Hindi / हिन्दी

सभी कर्मचारियों के लिए आप्रवासन संबंधी तथ्य

1. ऑस्ट्रेलिया कार्यस्थल कानून, ऑस्ट्रेलिया में सभी कर्मचारियों को, जिसमें विदेशी कर्मचारी शामिल हैं, मौलिक सुरक्षा व अधिकार प्रदान करते हैं।

विदेशी कर्मचारियों के लिए आप्रवासन संबंधी तथ्य

2. प्रत्येक विदेशी कर्मचारी के पास काम करने के अधिकार का वैध ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होना अनिवार्य है। काम करने के अधिकार के अस्थाई वीज़ाओं में छुट्टियाँ मनाने का वीज़ा, विद्यार्थी वीज़ा व सबक्लास 457 वीज़ा शामिल हैं। आप अपने काम करने व वीज़ा के अधिकार www.immi.gov.au पर देख सकते हैं।

3. नियोक्ताओं का उत्तरदायित्व है कि वे हर कर्मचारी के ऑस्ट्रेलिया में काम करने के अधिकार की जाँच करें और इसलिए वे कर्मचारी के पासपोर्ट व अन्य पहचान के कागज़ात देखने के लिए कहेंगे। नियोक्ताओं को आपके काम करने के अधिकार की जाँच करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए होगी।

4. नियोक्ता, वीज़ा रद्द नहीं कर सकते। केवल आप्रवासन व नागरिकता विभाग [Department of Immigration and Citizenship (DIAC)] ही वीज़ा दे सकता है, मना कर सकता है व रद्द कर सकता है। DIAC विभिन्न प्रकार के वीज़ा, आधिकार व उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसमें अपने स्पॉन्सर को कैसे बदल सकते हैं व ऑस्ट्रेलिया में स्थाई निवास के लिए आवेदन-पत्र देने की जानकारी भी शामिल है।

5. जो नियोक्ता सबक्लास 457 वीज़ा-धारिओं को स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए:
   - यह अनिवार्य है कि वे, विदेश से आए कर्मचारियों को कम से कम वही वेतन व शर्तें प्रदान करें जो उसी कार्यस्थल पर वही काम करने वाले कर्मचारियों को दे रहे हैं
   - यह अनिवार्य है कि वे, विदेश से आए कर्मचारियों को उनकी मान्यता प्राप्त दक्षता के अनुसार ही नौकरी दें
   - यह अनिवार्य है कि वे सुनिश्चित करें कि विदेश से आए कर्मचारी अन्य नियोक्ताओं के पास नौकरी न करें
   - कर्मचारियों को नकदी के रूप में वेतन देना मना है
   - यदि आपके या DIAC द्वारा लिखित में अनुरोध किया जाता है तो, यह अनिवार्य है कि वे विदेश से आए कर्मचारियों को वापिस जाने के लिए हवाईजहाज़ का किराया दें
   - यह अनिवार्य है कि वे, बिना कर्मचारियों की अनुमति के उनके वेतन में से (टैक्स के अलावा) कोई कटौती न करें।

6. वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र देने के लिए आपको किसी माईग्रेशन एजेन्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप माईग्रेशन एजेन्ट का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वह एजेन्ट, माईग्रेशन एजेन्ट पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय [Migration Agents Registration Authority (MARA)] में पंजीकृत है।

अधिक जानकारी के लिए

Department of Immigration and Citizenship
www.immi.gov.au or 131 881.

Unions Australia
www.unionsaustralia.com.au or 1300 486 466.

Fair Work Australia
www.fairwork.gov.au or 13 13 94.

Office of the MARA
www.mara.gov.au or 1300 22 62 72

अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में जानकारी के लिए अनुवाद व दुभाषिया सेवा (Translation and Interpreting Service) को 131 450 पर फ़ोन करें।